

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि०न० - 04/2024

अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।

वादी

बनाम

1. निराणाराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
3. कृष्णादेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
4. रामेश्वरी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
5. लिच्छमादेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
6. मैनादेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
7. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री श्रवण सहारण वादी  
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 55/174 के मु०न० 14 के किला न० 23 ता 25, मु०न० 19 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9 मु०न० 20 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, मु०न० 21 के किला न० 1, 10, 11 की कुल 7.337 है० नहरी बारानी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 72/72 के मु०न० 17 के किला न० 11/1, 11/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 की कुल 1.265 है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 50/42 के मु०न० 12 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु०न० 13 के किला न० 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 26 के किला न० 5/1, 5/2 मु०न० 27 के किला न० 1/1, 1/2, 2 ता 4, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23-24 मु०न० 48 के किला न० 21 ता 23, मु०न० 49 के किला न० 24-25, मु०न० 54 के किला न० 4 ता 7, 14, 15 मु०न० 55 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 14.927 है० नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 4973/14927 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निर्दिष्ट है अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ़ इंकार कर



दिया। इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 7 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं० 8 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी जयसिंह ने दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र वारिसान प्रदर्श 1 जमाबंदी वर्तमान चक 14 एएमएस प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 16 एएमएस वर्तमान प्रदर्श 3 जमाबंदी वर्तमान चक 17 एएमएस प्रदर्श 4 पैतृक जमाबंदीयां प्रदर्श 5 ता 7 प्रदर्शित करवाये।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 55/174 के मु०न० 14 के किला न० 23 ता 25, मु०न० 19 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9 मु०न० 20 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, मु०न० 21 के किला न० 1, 10, 11 की कुल 7.337है० नहरी बरानी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 72/72 के मु०न० 17 के किला न० 11/1, 11/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 की कुल 1.265है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 50/42 के मु०न० 12 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु०न० 13 के किला न० 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 26 के किला न० 5/1, 5/2 मु०न० 27 के किला न० 1/1, 1/2, 2 ता 4, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23-24 मु०न० 48 के किला न० 21 ता 23, मु०न० 49 के किला न० 24-25, मु०न० 54 के किला न० 4 ता 7, 14, 15 मु०न० 55 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 14.927है० नहरी बरानी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 4973/14927 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 ता 7 से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के उक्त वाद भूमि के अलावा चक 16 एएमएस के खाता सं० 73/73 की कुल 2.530है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण सं० 1, 3 ता 6 ने वाद भूमि से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रदर्श 1 के मुताबिक प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।



अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 55/174 के मु०न० 14 के किला न० 23 ता 25, मु०न० 19 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9 मु०न० 20 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, मु०न० 21 के किला न० 1, 10, 11 की कुल 7.337है० नहरी बारानी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 72/72 के मु०न० 17 के किला न० 11/1, 11/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 की कुल 1.265है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 50/42 के मु०न० 12 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु०न० 13 के किला न० 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 26 के किला न० 5/1, 5/2 मु०न० 27 के किला न० 1/1, 1/2, 2 ता 4, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23-24 मु०न० 48 के किला न० 21 ता 23, मु०न० 49 के किला न० 24-25, मु०न० 54 के किला न० 4 ता 7, 14, 15 मु०न० 55 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 14.927है० नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम के नाम 4973/14927 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जयसिंह प्रतिवादी सं० 2 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा को डीकी का भाग पढा जावें। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाला, रास्ता की भूमि को यथावत रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ओ.पी. चन्देलिया)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 - 04/2024


अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा  
बनाम वादी
1. निराणाराम पुत्र रेड़ाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
3. कृष्णादेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
4. रामेश्वरी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
5. लिछमादेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
6. मैनादेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
7. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 55/174 के मु0न0 14 के किला न0 23 ता 25, मु0न0 19 के किला न0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9 मु0न0 20 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, मु0न0 21 के किला न0 1, 10, 11 की कुल 7.337है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं0 72/72 के मु0न0 17 के किला न0 11/1, 11/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 की कुल 1.265है0 नहरी में प्रतिवादी सं0 1 निराणाराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 50/42 के मु0न0 12 के किला न0 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु0न0 13 के किला न0 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु0न0 26 के किला न0 5/1, 5/2 मु0न0 27 के किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 4, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23-24 मु0न0 48 के किला न0 21 ता 23, मु0न0 49 के किला न0 24-25, मु0न0 54 के किला न0 4 ता 7, 14, 15 मु0न0 55 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 14.927है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी सं0 1 निराणाराम के नाम 4973/14927 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जयसिंह प्रतिवादी सं0 2 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 रास्ता, खाला की भूमि को यथावत रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(ओ.पी. चन्देलिया)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)